HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
C-11, SECTOR-6, PANCHKULA
Website – www.hspcb.org.in
E-mail: hspcbmisc@gmail.com
Ph.: 0172-2577870-873

Public Notice

Whereas the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 13029 titled as MC Mehta Vs Union of India and Ors. vide order dated 19.12.2024 has issued directions which are reproduced as below:

"that in the exercise of the powers under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Delhi Government has imposed a complete ban on manufacturing, storage, selling (including delivery through online marketing platforms) and bursting all kinds of firecrackers in NCT of Delhi throughout the year with immediate effect. We are of the view that this ban will become effective only when other States forming part of the NCR impose a similar ban. Even the State of Rajasthan has imposed a similar ban in the part of the State, which falls in NCR parts of the States, which is imposed by the Delhi Government under the order dated 19th December, 2024 till 17th January, 2025, when we will consider the issue of passing further directions".

Whereas, Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Environment and Climate Change Department vide order dated 24.12.2024 has directed that "There shall be complete ban on manufacturing, storage, sale (including delivery through online marketing platforms) and bursting of all kind of firecracker in Districts fall in NCR Area in the State of Haryana till 17.01.2025 with immediate effect."

Further the Hon'ble Supreme Court vide order dated 17.01.2025, the Hon'ble Supreme Court has issued directions relevant part of which is reproduced below:

"As regards the ban imposed on use etc. of firecrackers, our last order dated 19th December, 2024 records that the State of Rajasthan has imposed a similar ban in perpetuity in terms of the ban imposed by the Government of Delhi under the order dated 19th December, 2024. The State of Rajasthan has confined the ban to that part of the State that falls in the National Capital Region (NCR).

We direct the States of Uttar Pradesh and Haryana to consider of taking a decision to impose a perpetual ban similar to the one which is imposed by the Delhi Government under the order dated 19th December, 2024 which is restricted to the NCR parts of the State. Till further orders are passed, the ban imposed by the States of Uttar Pradesh and Haryana limited to the NCR parts of the States which was effective till today is extended. The compliance by the States will be considered on 24th March, 2025 at the end of the cause list."

In view of above, all the general public and stakeholders are hereby informed through this public notice for the strict compliance that there shall be complete ban on manufacturing, storage, sale (including delivery through online marketing platforms) and bursting of all kind of firecracker in Districts falls in NCR Area in the State of Haryana till 17.01.2025 which is extended as per Hon'ble Apex court order dated 17.01.2025.

Pradeep Kumar, IAS
Member Secretary, HSPCB.

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण , बोर्ड
सी–11, सैक्टर–6, पंचकूला
फोन नं0– 0172–2577870–73, फैक्स नं0–2581201
E-mail- hspcbho@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

जबकि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029 जिसका शीर्षक एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 19.12.2024 को आदेश द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

"पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार ने विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरण सहित) और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़नें पर पूर्ण प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से वर्षभर के लिए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगा दिया है। हमारा मानना है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले अन्य राज्य भी इसी तरह का प्रतिबंध लगायेंगें। यहां तक कि राजस्थान राज्य ने भी राज्य के उस हिस्से में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है जो राज्यों के एनसीआर भागों में आता है, जिसे दिल्ली सरकार ने 19 दिसम्बर, 2024 के आदेश के तहत 17 जनवरी, 2025 तक लगाया है, जब हम आगे के निंर्देश पारित करने के मुद्दे पर विचार करेंगें।"

जबकि, हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचित, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने दिनांक 24.12.2024 के आदेश के तहत निर्देश दिया है कि हरियाणा राज्य में एनसीआर क्षेत्र में आने वाले जिलों में तत्काल प्रभाव से 17.01.2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और फोड़ने/जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2025 के आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः–

"पटाखों के उपयोग आदि पर लगाए गए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध के संबंध में, हमारा अंतिम आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2024 दर्ज करता है कि राजस्थान राज्य ने 19 दिसम्बर 2024 के दिल्ली के द्वारा पारित आदेश के समानान्तर पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में एक समान अनिश्चितकालीन प्रतिबंध राजस्थान राज्य के उस हिस्से तक सीमित कर दिया है जो राष्ट्रीय क्षेत्र (एनसीआर) में आता हैं।

हम उतरप्रदेश और हरियाणा राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे दिनांक 19 दिसम्बर 2024 के आदेश के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के समान अनंत काल प्रतिबंध लगाने पर विचार करें, जो राज्य के एनसीआर भागों तक सीमित हो। अगले आदेश पारित होने तक, उतरप्रदेश और हरियाणा राज्यों द्वारा राज्यों के एनसीआर भागों तक सीमित प्रतिबंध, जो आज तक प्रभावी था, बढ़ा दिया गया है। राज्यों द्वारा अनुपालन पर 24 मार्च, 2025 को कारण सूची के अंत में विचार किया जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी आम जनता और हितधारकों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सख्त अनुपालन के लिए सूचित किया जाता है कि विनिर्माण, भण्डारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़नें/जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध 17.01.2025 तक हरियाणा राज्य में जों जिलें एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, उसमें लागू रहेगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.01.2025 के अनुसार बढ़ा दिया गया है।

सदस्य सचिव
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड